प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तैंतीस '

[9/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1989]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1989 प्रश्नांश "ख" का परिशिष्ट " "

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

पृष्ठ 1 से 3 तक

क्रमांक/ 2/अवि./सेल–2/2016/1107-V भोपाल, दिनांक 23.11.2016

प्रति,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल।

विषय :– प्रदेश में फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण हेतु अभ्यावेदन का निराकरण के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 3333/3932/2016/सत्रह/मेडि–1 भोपाल दिनांक 03.10.2016।

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो जिसके माध्यम से प्रदेश में फार्मासिस्टों के मांग पत्र पर यथाशीघ्र कार्यवाही समुचित प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया है।

प्राप्त मांग पत्र के संबंध में उल्लेखित आठ बिन्दुओं पर जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है –

क.	मांगपत्र का विषय	कार्यालयीन टीप
01	अन्य राज्यों में फार्मासिस्टों ग्रेड–2 का वेतनमान के साथ ग्रेड पें रूपयें 2800/– है जबकि मध्यप्रदेश के फार्मासिस्ट ग्रेड–2 का वेतनमान में ग्रेड पें रूपयें 1900/– है, जिसे बढ़ाकर रूपयें 2800/– किया जाए।	विभाग के अधीन प्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड–2 का छटें वेतनमान में 5200–20200 + ग्रेड पें 1900/– को बढ़ाकर 5200–20200 + ग्रेड पें 2400/– (पांचवे वेतनमान में 3050–4590 को बढ़ाकर रूपयें 4000–6000 किये जाने बावत्) के संबंध में प्रस्ताव शासन के माध्यम राज्य वेतन आयोग को प्रेषित किया गया था। जिस पर वर्तमान में शासन स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना है।
02	संविदा चिकित्सकों की भांति विगत दस वर्षो से नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध रखे गये संविदा फार्मासिस्टों को उक्त रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाए।	नियमित पदों के विरूद्ध कार्यरत संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी प्रस्ताव विचारधीन है।
03	फार्मेसी एक्ट 1948 में प्रावधान है कि दवाईयों का कय भण्डारण, संधारण एवं वितरण का कार्य फार्मासिस्टों से कराया जाए। लेकिन मध्यप्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्टों को उक्त दायित्व अभी तक नहीं सौंपा गया है। फार्मेसी एक्ट के अनुसार उक्त दायित्व फार्मासिस्टों को सौंपे जाने के निर्देश जारी किए जाए।	संचालनालय स्तर से प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को समय–समय पर दवाईयों का कय भण्डारण, संधारण एवं वितरण का कार्य फार्मासिस्टों से कराये जाने बावत् दिशा–निर्देश जारी किये गये है। (प्रति संलग्न)

	मांगपत्र का विषय	कार्यालयीन टीप
	नर्सेस संचालनालय एवं पैरामेडिकल संचालनालय के समान फार्मेसी संचालनालय स्थापित किया जाए।	विभाग के अधीन वर्तमान में पृथक से नर्सेस संचालनालय / पैरामेडिकल संचालनालय संचालित नही है। प्रस्तुत मांग के संबंध में विचारोपरांत अंतिम निर्णय लिया जावेगा।
05	फार्मासिस्टों के नियमित रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाए।	विभाग के अधीन वर्ष 2015 में व्यापम के माध्यम से पैरामेडिकल के 900 पदों (फार्मासिस्ट ग्रेड–2 के 620 पदों) हेतु चयन परीक्षा आयोजित कर नियमित पदों को भरने की कार्यवाही की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त पुनः व्यापम को फार्मासिस्ट ग्रेड–2 के 525 पदों हेतु चयन परीक्षा आयोजित किये जाने बावत् दिनांक 30.09.2016 को प्रेषित किया गया है।
06	प्रदेश में जनकल्याणकारी दवानीति बनाई जाये जिससे प्रदेश की जनता को सुगमता से सभी दवाईयां उपलब्ध कराई जा सके। दवा कय हेतु बनायी गई समिति में एक सदस्य स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्यप्रदेश का पदाधिकारी एवं उक्त समिति में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य फार्मेसी प्रोफेशन के रखे जाये।	उक्त बिन्दु पर आवयक कार्यवाही हेतु पृथक से नस्ति संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन को प्रेषित की गई है।
07	प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर चिकित्सक उपलब्ध नही हो पा रहे है, उन स्थानों/संस्थाओं में बी.फार्मा/एम. फार्मा, डिग्रीधारी को प्राथमिक उपचार की अनुमति दी जाए।	उक्त बिन्दु पर आवयक कार्यवाही हेतु पृथक से नस्ति संचालक (अस्पताल प्रशासन) को प्रेषित की गई है।
08	स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मेसी प्रोफशन के व्यक्ति को ही रजिस्ट्रार पद पर पदस्थ किया जाये।	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही शासन स्तर की किये जाने हेतु पृथक से नस्ति शासन को प्रेषित की गई है।

23/11/2016

(शैलबाला मार्टिन)
O/c अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक/ 2/अवि./सेल–2/2016/1108-U भोपाल, दिनांक 23.11.2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन म.प्र., कार्यालय – शेड नं. 1, प्रायवेट वार्ड के समीप, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।

अपर संचालक (प्रशासन)
O/c संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य–प्रदेश

क्रमांक 2/अविज्ञप्त/सेल–2/2011/76-A   भोपाल, दिनांक 22/01/2011

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषयः– औषधी क्रय एवं औषधी भंडार के प्रभारी कर्मचारियों के कार्यकाल/प्रभार परिवर्तन के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषय विभाग के अंतर्गत संचालित चिकित्सालयों के सुचारू संचालन एवं छवि की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन कार्यालय में औषधी क्रय एवं औषधी भंडार के प्रभारी के रूप में पृथक–पृथक कर्मचारी होने चाहिये।
2. औषधी क्रय के लिये वर्तमान में जारी निर्देशों के अनुरूप ही फार्मासिस्ट/ फार्मासिस्ट ग्रेड–2/कम्पाउण्डर होना चाहिये।
3. दिसम्बर 2011 में उपरोक्त में से जिन–जिन जिलों में कर्मचारियों का कार्यकाल तीन वर्ष पूर्ण हो रहा है, उन्हें तत्काल बदलना है।
4. इस परिवर्तन के लिये यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन कार्यालय में एक ही कर्मचारी पदस्थ हो, तो वे जिले की किसी भी संस्था से किसी अन्य फार्मासिस्ट/फार्मासिस्ट ग्रेड–2/कम्पाउण्डर को इस पद के लिये तत्काल पदस्थ करें।
5. उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर 7 फरवरी 2011 तक प्रत्येक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन इस संबंध में एक प्रमाण पत्र स्वास्थ्य आयुक्त के नाम प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रभारी कर्मचारी का नाम एवं पद भी अंकित करेगें।
6. जिन जिलों में औषधी क्रय/स्टोर के प्रभारी का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ होगा वे उनके नाम, पद एवं कार्यकाल की सूचना स्वास्थ्य आयुक्त को 7 फरवरी 2011 तक प्रस्तुत करेगें एवं भविष्य में तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर स्वास्थ्य आयुक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त कार्यवाही समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य हैं एवं तदनुसार सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(हस्ताक्षर) 22/1/11
(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग

उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश